राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

दिनांक 20.06.2016 को आयोजित स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की ग्यारहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्णय	क्रियान्विति रिपोर्ट
1.	गत बैठक में लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा अर्वाड्स के संबंध में बजट स्रोत पर निर्णय कर इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए।	वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर सड़क सुरक्षा कोष का अलग से निर्माण किया गया है जिसके नियम एवं राशि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न हितधारक विभागों के सरकारी कार्मिक, स्वयंसेवी संस्था, पंचायत एवं विद्यालयों (निजी/सरकारी) को वर्ष 2016 से 'सड़क सुरक्षा अवार्ड' से सम्मानित करने के लिए दिशानिर्देश का प्रारूप तैयार करके पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिया गया है जो प्रक्रियाधीन हैं। नए प्रस्तावित सड़क सुरक्षा कोष दिशानिर्देशों में कोष के उपयोग संबंधी बिन्दु में सड़क सुरक्षा अवार्ड्स को सम्मिलित कर लिया गया है।
2.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी), जिसमें समस्त हितधारक विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों, का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हितधारक विभागों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 10.06.2016 में लिए गए निर्णयानुसार वे सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु सक्षम स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन दिनांक 30.06.2016 से पूर्व अनिवार्य रूप से करें ताकि सुप्रीम कोर्ट समिति के समक्ष अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार स्टेट रोडी सेफ्टी कौंसिल के गठन आदेश में संशोधन किया जाकर आदेश क्रमांक 13002 दिनांक 29.06.2016 द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी) का गठन किया जाकर हितधारक विभागों को सम्मिलित किया गया है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारियों को पदस्थापित किया जा चुका है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु इन अधिकारियों के वेतन भत्तों के आहरण एवं अन्य समुचित व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पद सृजन/सरंचनात्मक ढांचे की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए गए हैं।
3.	स्टेट रोडी सेफ्टी कौंसिल के गठन आदेश में संशोधन कर प्रमुख शासन सचिव, वित्त को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।	स्टेट रोडी सेफ्टी कौंसिल के गठन आदेश में संशोधन कर प्रमुख शासन सचिव, वित्त को प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग की आज्ञा दिनांक 02.08.2016 द्वारा सम्मिलित किया जा चुका है।
4.	राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों हेतु पृथक से पर्याप्त एवं नियमित रोड सेफ्टी फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसका मुख्य स्रोत चालानों से प्राप्त प्रशमन राशि का 50 प्रतिशत होगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त निर्णय से वित्त विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों हेतु पृथक से पर्याप्त एवं नियमित रोड सेफ्टी फण्ड स्थापित करने का निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाकर ,चालानों से प्राप्त प्रशमन राशि की 25 प्रतिशत तक राशि को सड़क सुरक्षा गतिविधियों हेतु सुरक्षित रखा गया है। फण्ड के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
5.	अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त राज्य में दुपहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाली सवारियों के लिये हेलमेट की अनिवार्यता के प्रावधान को समझाइश एवं सख्त प्रवर्तन के माध्यम से निरंतर लागू कराने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा	इस विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 11972–81 दिनांक 20.06.2016 को जारी कर दिया गया है। वर्ष 2016 में नवम्बर माह तक पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट संबंधी उल्लंघन के विरूद्ध लगभग 4.20 लाख चालान किए गए।

	बताया गया कि वर्ष 2014 में हेलमेट संबंधी उल्लंघनों में 68,000 चालान हुए थे जो वर्ष 2015 में बढकर 1,37,000 हो गये। इस वर्ष अब तक हेलमेट संबंधी उल्लंघनों के विरूद्ध 1,53,000 चालान किये जा चुके हैं। उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि भविष्य में भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रखी जायेगी।	परिवहन विभाग द्वारा इस वर्ष माह नवम्बर 2016 तक हेलमेट के उल्लंघन के संबंध में बिना हेलमेट चालक के विरूद्ध लगभग 9,000 एवं बिना हेलमेट पीछे बैठी सवारी के विरूद्ध 603 चालान बनाए गए।
6.	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट का उपयोग नहीं करने के कारण हो रही गंभीर दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले हेलमेट विक्रेताओं के विरूद्ध दिनांक 22.06.2016 को संयुक्त सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।	इस विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 22122 दिनांक 21.06.2016 को जारी कर दिया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट का उपयोग नहीं करने के कारण हो रही गंभीर दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले हेलमेट विक्रेताओं के विरूद्ध दिनांक 22.06.2016 को संयुक्त सघन अभियान चलाया जाकर 45 हेलमेट विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
7.	नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध निरंतर रूप से सख्त प्रवर्तन एवं पुलिस विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालना में प्रथम अपराध पर भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराने एवं कारावास की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य के लगभग प्रत्येक थाने में ब्रेथ ऐनेलाइजर उपलब्ध करवा दिये गये हैं एवं निर्देशों की अनुपालना में निरंतर कार्यवाही जारी है।	इस वर्ष अक्टूबर तक पुलिस विभाग द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत 51,150 चालान बनाए गए।
8.	अध्यक्ष महोदय द्वारा सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को रोड इंजीनियरिंग के तहत् ब्लैक स्पॉट्स एवं अंधे मोड़ो के सुधार के निर्देश दिये गये। पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का विभिन्न विभागों के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकरण एवं उनके सर्वे, बजट आवंटन, दुरूस्तीकरण एवं मॉनिटरिंग का संशाधित प्रोटोकॉल तैयार कर दिनांक 24.06.2016 तक परिवहन विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के निर्देशों पर संकलित अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 से पूर्व प्रस्तुत की जा सके।	सड़क निर्माण से जुड़ी एजेन्सियों द्वारा रिवाईज्ड प्रोटोकॉल तैयार कर माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है एवं समस्त रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज को नियमित अनुपालना रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र लिखे जा रहे हैं ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उक्त रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है अतः इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किया जाना उचित होगा।
9.	सड़क निर्माण से जुड़े समस्त हितधारक विभागों को माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के निर्देशों की अनुपालना में राज्य की सड़कों के थर्ड पार्टी ऑडिट संबंधी निर्देश दिनांक 24.06.2016 तक जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।	सड़क निर्माण से जुड़े समस्त हितधारक विभागों को माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों की अनुपालना में राज्य की सड़कों के थर्ड पार्टी ऑडिट संबंधी निर्देश संबंधित विभागों द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
10.	स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी को कैबिनेट के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कराने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।	स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कराने हेतु केबिनेट के एजेन्डा में सम्मिलित कर लिया गया है।
11.	शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे माह जुलाई 2016 से प्रारंभ हो रहे सत्र में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें।	शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जा चुकी है। इस क्रम में इस वर्ष की सड़क सुरक्षा कार्ययोजना में 600 स्कूल बस/बाल वाहिनी चालकों को सुरक्षित चालन प्रशिक्षण एवं 800

		शिक्षकों को सर्टिफाईड सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को सडक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए निरन्तर प्रशिक्षण/विभिन्न प्रतियोगिताएं/अन्य गतिविधियों के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।
12.	प्रमुख शासन सचिव एंव परिवहन आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग विभाग को आग्रह किया जा सकता है कि वे सड़क उपयोग से जुड़े उद्योगों यथा सीमेंट उद्योग, वाहन निर्माता उद्योग इत्यादि के लिये निर्देश जारी करें कि वे सी.एस.आर (कॉरपोरेट सोशल रिसपोन्सेबिलिटी) के तहत् सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दें। इस सुझाव का अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया।	इस निर्णय की पालना हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग को पत्र क्रमांक प.10 (707) परि/ स.सु./स.सु. उप/2015/20559 दिनांक 15.09.2016 लिखा जा चुका है।
13.	अतिरिक्त महानिदेशक (यातायात) पुलिस द्वारा जयपुर–शाहजहांपुर मार्ग पर इंटेलिजेंस हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तैयार कर परीक्षण/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	पुलिस विभाग द्वारा इसके प्रस्ताव तैयार कर जरिए पत्र क्रमांक 574 दिनांक 13.02.2015 राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं जो कि लम्बित हैं।
14.	वर्ष 2016–17 हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना के प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से सुझाव प्राप्त किये गये। इन सुझावों में पंचायत स्तर के कार्मिकों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण में सम्मिलित करने के सुझाव को कार्ययोजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।	वर्ष 2016–17 हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना में ग्राम सेवक/पटवारी इत्यादि को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक पोषित राजस्थान रोड सेक्टर मॉर्डनाईज़ेशन प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2016 से 2018 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 10 सड़क सुरक्षा वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
15.	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988/नियम 1989 में संशोधन या सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुधार में अन्य सुझाव स्वयं उन्हें अथवा परिवहन आयुक्त कार्यालय में देने का आग्रह किया गया ताकि ये सुझाव मंत्री समूह की अन्तिम रिपोर्ट में सम्मिलित किये जा सके।	प्राप्त सुझावों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की चतुर्थ बैठक दिनांक 08.11.2016 को तिरूवनंतपुरम में सम्पन्न हुई।